

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 58 / 2017

दायरा दिनांक : 12.04.2017

उनवान

भैरूलाल पुत्र श्री जगदीश, जाति धाकड़, उम्र 42 साल, निवासी कोलूखेड़ी,
तहसील छबड़ा जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री सत्येन्द्र जमोदिया
अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 18.07.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 17.03.2017 प्रकरण संख्या 101/2016 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार छबड़ा के प्रकरण सं0 131/2015 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.11.2015 से अपीलांट को ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा की आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 2 बीघा, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.03.2017 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है जिसकी तामील करवायी गयी है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि संगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2017 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा